Postal Reg. No. : XXXXXXXXX

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

वर्ष 2

साप्ताहिक क़ादियान

बदर

The Weekly BADAR Qadian HINDI

अंक 14

मूल्य 300 रुपए वार्षिक

संपादक शेख़ मुजाहिद अहमद

6 अप्रैल 2017 ई

8 रजब 1438 हिजरी कमरी

अख़बार-ए-अहमदिया

रूहानी ख़लीफ़ा इमाम जमाअत अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बेनस्रेहिल अज़ीज सकुशल हैं। अलहम्दोलिल्लाह। अल्लाह तआला हुज़ूर को सेहत तथा सलामती से रखे तथा प्रत्येक क्षण अपना फ़जल नाज़िल करे। आमीन

बड़े होकर छोटों पर दया करो न कि उनका अपमान, ज्ञानी होकर अज्ञानियों को भलाई का पाठ पढ़ाओ न कि स्वयं को श्रेष्ठ समझकर उनका अनादर, धनवान होकर निर्धनों की सेवा करो न कि स्वयं श्रेष्ठ बनकर उन पर अभिमान। विनाश के मार्गों से भयभीत रहो, ख़ुदा से डरते रहो, तक्वा एवं सदाचार का अनुसरण करो,

उपदेश हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम

हज़रत मसीह मौऊद फरमाते हैं

बड़े होकर छोटों पर दया करो न कि उनका अपमान, ज्ञानी होकर अज्ञानियों को भलाई का पाठ पढ़ाओ न कि स्वयं को श्रेष्ठ समझकर उनका अनादर, धनवान होकर निर्धनों की सेवा करो न कि स्वयं श्रेष्ठ बनकर उन पर अभिमान। विनाश के मार्गों से भयभीत रहो, ख़ुदा से डरते रहो, तक्वा एवं सदाचार का अनुसरण करो, मानव की उपासना न करो, केवल अपने ख़ुदा के लिए त्याग करो, संसार से हृदय मत लगाओ, ख़ुदा के हो जाओ, उसी के लिए जीवन व्यतीत करो, उसके लिए प्रत्येक अपवित्रता और पाप से घृणा करो क्योंकि वह पवित्र है। हर सुबह तुम्हारे लिए साक्ष्य दे कि तुम ने ख़ुदा में लीन रहते हुए रात्रि व्यतीत की। हर शाम तुम्हारे लिए साक्ष्य दे कि तुमने डरते-डरते दिन व्यतीत किया। संसार के अभिशापों और फटकारों से मत डरो कि वे धुएँ की भांति देखते-देखते लुप्त हो जाती हैं। वे दिन को रात में परिवर्तित नहीं कर सकतीं। तुम ख़ुदा के अभिशाप से डरो जो आकाश से आता है और जिस पर गिरता है उसकी लोक व परलोक दोनों स्थानों पर जड़ काट देता है। तुम आडम्बर से स्वयं को सुरक्षित नहीं रख सकते क्योंकि तुम्हारे ख़ुदा की दृष्टि तुम्हारे पाताल तक है। क्या तुम उसको धोका दे सकते हो। अत: तुम सीधे और स्वच्छ हो जाओ, पवित्र और निष्कपट हो जाओ। यदि तुम्हारे अन्दर थोड़ा सा भी अंधकार विद्यमान है तो वह तुम्हारे सम्पूर्ण प्रकाश को नष्ट कर देगा। यदि तुम्हारे अन्दर किसी भी स्तर पर अभिमान, आडम्बर, आलस्य या स्वयं को ही श्रेष्ठ समझने की भावना व्याप्त है तो तुम ख़ुदा के समक्ष स्वीकार योग्य नहीं। ऐसा न हो कि तुम कुछ बातों को लेकर स्वयं को धोखा देते रहो कि जो कुछ तुमने करना था कर चुके, जबकि ख़ुदा की इच्छा है कि तुम्हारे जीवन का पूर्ण काया-कल्प हो । वह तुमसे एक मौत मांगता है जिसके पश्चात वह तुम्हें जीवन प्रदान करेगा। तुम परस्पर शीघ्र सुलह करो, अपने भाईयों के दोषों को क्षमा करो क्योंकि उद्दण्ड है वह मनुष्य जो अपने भाई से समझौता करने के लिए तैयार नहीं। वह काटा जाएगा क्योंकि वह एकता को खण्डित करता है। तुम हर पहलू से अहं को त्याग दो, आपसी द्वेष मिटा दो, सच्चे होकर झूठे की भांति दीनता का अनुसरण करो ताकि तुम्हें क्षमा किया जा सके। अहंकार में मत बढ़ो कि जिस द्वार पर तुम्हें बुलाया गया है उसमें एक अहंकारी मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता दुर्भाग्यशाली है वह मनुष्य जो इन बातों को नहीं समझता जो ख़ुदा के मुख से निकली और मैंने उनका वर्णन किया। यदि तुम चाहते हो कि आकाश पर ख़ुदा तुम से प्रसन्न हो तो तुम परस्पर इस प्रकार एक हो जाओ जैसे एक पेट में दो भाई। तुम में श्रेष्ठतम वही है जो अपने भाई के दोषों और भूलों को अधिक से अधिक क्षमा करता है, और दुर्भाग्यशाली है वह जो हठधर्मी से काम लेते हुए उसे क्षमा नहीं करता । ऐसे व्यक्ति का मुझ से कोई नाता नहीं । ख़ुदा की फटकार से डरो कि वह पवित्र और स्वाभिमानी है । कुकर्मी ख़ुदा के निकट नहीं हो सकता, अभिमानी उसके निकट नहीं हो सकता, अत्याचारी उसके निकट नहीं हो सकता,अमानत को हड़प जाने वाला उसके निकट नहीं हो सकता और प्रत्येक जो उसके नाम के लिए मर मिटने वाला नहीं उसके निकट नहीं हो सकता, वे जो भौतिक साधनों पर कुत्तों, चीलों और गिद्दों की भांति टूट पड़ते हैं वे सांसारिक भोग-विलास में लीन हैं वे ख़ुदा के निकट नहीं हो सकते।

(कश्ती नूह, रूहानी खज़ायन,भाग 19, पृष्ठ 12)

☆ ☆ ☆

123 वां
जलसा सालाना क़ादियान
दिनांक 29, 30, 31 दिसम्बर 2017 ई. को आयोजित होगा

सय्यदना हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने 123 वें जलसा सालाना क़ादियान के लिए दिनांक 29, 30 और 31 दिसम्बर 2017 ई.(जुम्अ:, हफता व इतवार) की स्वीकृति दी है। जमाअत के लोग अभी से इस शुभ जलसा सालाना में उपस्थित होने की नीय्यत करके दुआओं के साथ तैयारी आरम्भ कर दें। अल्लाह तआला हम सब को इस ख़ुदाई जलसे से लाभ उठाने की क्षमता प्रदान करे। इस जलसा सालाना की सफलता व बा-बरकत होने के लिए इसी तरह यह जलसा लोगों के लिए मार्ग दर्शन हो इसके लिए विशेष दुआएँ जारी रखें। धन्यवाद

(नाज़िर इस्लाह व इरशाद मरकज़िया, क़ादियान)

जमील अहमद नासिर प्रिंटर एवं पब्लिशर ने फ़ज़्ल-ए-उमर प्रिंटिंग प्रेस क़ादियान में छपवा कर दफ़्तर अख़बार बदर से प्रकाशित किया। प्रौपराइटर - निगरान बदर बोर्ड क़ादियान

हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब कादियानी मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का संक्षिप्त इतिहास तथा धार्मिक सेवाऐं (भाग-2)

अनुवादक : शेख़ मुजाहिद अहमद शास्त्री, कादियान

मुक़द्दमा डाकख़ाना

1878 ई. में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर एक ईसाई रलिया राम वकील ने एक मुक़द्दमा कर दिया जो सिलसिला अहमदिया के इतिहास में मुक़द्दमा डाकख़ाना के नाम से प्रसिद्ध है।

हुआ यह कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हिन्दुओं के फ़िर्क़े आर्यसमाज के मुकाबले में इस्लाम की ताईद में एक लेख लिखा और वह अमृतसर के एक प्रेस में छपवाने के लिए पैकेट बना कर भेज दिया। इस पैकेट में हुज़ूर ने एक पत्र भी रख दिया। उन दिनों डाकख़ाने के नियमों के अनुसार किसी पैकेट में पत्र रख देना जुर्म था। जिसका दण्ड़ पाँच सौ रु जुर्माना या छ: मास क़ैद थी । पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम को इसका पता न था। यह पैकेट हुज़ूर(अ) ने अमृतसर के जिस प्रेस में भेजा उसका मालिक रलिया राम एक ईसाई था। जब उसने यह पैकेट वसूल किया तो उसने इस्लाम की दुश्मनी के कारण ड़ाकख़ाने वालों को इस की सूचना दे दी। परिणाम स्वरूप हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर मुक़द्दमा कर दिया गया। इन्हीं दिनों हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ख़्वाब में देखा कि रलिया राम वकील ने एक सांप हुज़ूर(अ) को काटने के लिए भेजा है। परन्तु हुज़ूर(अ) ने मछली के समान तल कर उसे लौटा दिया है।

जब मुक़द्दमा अदालत में प्रस्तुत हुआ तो वकीलों ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को सुझाव दिया इस मुक़द्दमे में सज़ा से बचने की यही एक सूरत है कि हुज़ूर अदालत में यह बयान दे दें कि यह पत्र मैं ने इस पैकेट में नहीं रखा था। रलिया राम ने दुश्मनी के कारण स्वयं मेरा यह पत्र पैकेट में रख दिया है। जब यह सुझाव हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने प्रस्तुत हुआ तो हुज़ूर ने फ़र्माया जब पत्र स्वयं मैं ने पैकेट में रखा था तो फिर मैं केवल दण्ड़ से बचने के लिए कदापि इससे इंकार नहीं करूँगा। वकीलों ने कहा फिर तो आपके बचने का कोई उपाय दिखाई नहीं पड़ता। हुज़ूर(अ) ने फ़र्माया जो होगा, देखा जाएगा। कुछ भी हो मैं झूठ हरगिज़ नहीं बोलूँगा। अत: जब अदालत ने पूछा कि क्या पत्र आपने स्वयं पैकेट में रखा था तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फ़र्माया हाँ ! मैं ने ही रखा था क्योंकि मुझे यह पता नहीं था कि ऐसा करना डाकख़ाने के नियमों के विरुद्ध है। विरोधी बड़े प्रसन्न थे कि अब तो हुज़ूर ने अपने अपराध को स्वयं मान लिया है। अब अवश्य ही आपको सज़ा मिल जाएगी। पर ख़ुदा तआला के काम देखो कि जिस जज के सामने यह मुक़द्दमा था, वह हुज़ूर की सच्चाई तथा नेकी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को इ़ज़्ज़त के साथ बरी कर दिया। इस प्रकार सच बोलने की बरकत से ही अल्लाह तआला ने इस मुक़द्दमे में आपको विजय प्रदान की।

बड़े भाई का देहान्त

1881 ई. में आपके बड़े भाई मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादिर साहिब का देहान्त हो गया। क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी इसलिए उनकी जायदाद के भी आप ही वारिस थे। परन्तु उनकी विधवा का दिल रखने के लिए आपने जायदाद पर कब्ज़ा न किया। और यह जायदाद लम्बे समय तक आपके अन्य रिश्तेदारों के क़ब्ज़े में ही रही।

दूसरा विवाह

आपका दूसरा विवाह 1884 ई. में अल्लाह तआला के आदेश तथा उसके विशेष इल्हाम से दिल्ली के एक प्रसिद्ध सादात ख़ानदान की एक आदरणीय तथा पाकबाज़ (पवित्र) महिला हज़रत सय्यदा नुसरत जहाँ बेग़म साहिबा रज़ियल्लाहो अन्हा से हुआ। और इस प्रकार अल्लाह तआला का यह इल्हाम पूरा हुआ कि :-

''मैंने इरादा किया है कि तुम्हारी एक और शादी करूँ। यह सब सामान मैं स्वयं ही करूँगा।" (हयाते तय्यबा पृष्ठ 73)

आपके ससुर साहिब का नाम हज़रत मीर नासिर नवाब रज़ियल्लाह तआला अन्हो था जो कि हज़रत ख़्वाजा मीर दर्द रहमतुल्लाह अलैह की संतान में से थे। और स्वयं भी बहुत नेक तथा पवित्र इंसान थे।

17 नवम्बर 1884 ई. को दिल्ली में प्रसिद्ध ज्ञानी मौलवी सय्यद नज़ीर हुसैन साहिब मुहद्दिस देहलवी ने आपके निकाह का ऐलान किया और निकाह के साथ ही विदाई हो गई।

यह विवाह, अल्लाह तआला के वादे के अनुसार बहुत ही बरकतों वाला तथा कामयाब हुआ। क्योंकि इसके परिणाम में अल्लाह तआला ने आपको वह पवित्र संतान अता (प्रदान) फ़र्माई जिसके बारे में बहुत महान बशारतें (ख़ुशी की ख़बरें) मिली थीं। तथा यह बशारतें अपने समय पर पूरी हुईं जिनको आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं।

मुबश्शिर संतान

(वह संतान जिसके बारे में आपको पहले से अल्लाह तआला की ओर से शुभ सूचना मिल चुकी थी)

इस विवाह से अल्लाह तआला ने आपको दस बच्चे अता फ़र्माए। उनमें से पाँच बच्चे तो छोटी आयु में ही फ़ौत हो गए। बाक़ी पाँच बच्चे यह हैं :-

1. हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद ख़लीफ़तुल मसीहिस्सानी रज़ियल्लाहो तआला अन्हो। (जन्म 12 जनवरी 1889 ई. मृत्यु 8 नवम्बर 1965 ई.)।
2. हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहिब रज़ियल्लाहो तआला अन्हो। (जन्म 20 अप्रैल 1893 ई. मृत्यु 2 सितम्बर 1963 ई.)।
3. हज़रत मिर्ज़ा शरीफ़ अहमद साहिब रज़ियल्लाहो तआला अन्हो। (जन्म 24 मई 1895 ई. मृत्यु 26 दिसम्बर 1961 ई.)।
4. हज़रत नवाब मुबारका बेग़म साहिबा रज़ियल्लाहो तआला अन्हा। (जन्म 2 मार्च 1897 ई. मृत्यु 22/23 मई 1977 ई. की रात 12 बजकर पाँच मिन्ट पर)।
5. हज़रत नवाब अमतुल हफ़ीज़ बेग़म साहिबा । (जन्म 25 जून 1904 ई. मृत्यु 6 मई 1984 ई.)

मुजद्दिद तथा मामूर (अवतार) होने का दावा

1885 ई. के आरम्भ में आपने एक इश्तिहार बीस हज़ार की संख्या में प्रकाशित किया जिसमें इस्लाम के सारे विरोधियों को बुलाया कि यदि वह इस्लाम की सच्चाई के ताज़ा बताज़ा निशानात (चिन्ह) देखना चाहें तो मेरे पास आएँ और आसमानी निशान देखें। इस इश्तहार में आपने ऐलान किया कि अल्लाह तआलाा ने मुझे इस्लाम की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की सच्चाई को दिखाने के लिए इस ज़माने के लिए मुजद्दिद और मामूर बनाया है ।

बैअत का ऐलान और बैअत की शर्तें (नियम)

1 दिसम्बर 1888 ई. को आपने अल्लाह तआला की आज्ञा से यह ऐलान प्रकाशित किया कि जो लोग सच्चा ईमान और सच्ची पवित्रता प्राप्त करना चाहें वह मेरी बैअत (बिक जाना) करें ताकि अल्लाह तआला उन्हें बहुत सी बरकतें दे।

12 जनवरी 1889 ई. को आपने एक और इश्तिहार प्रकाशित किया जिसमें आपने दस शर्तें (नियम) बैअत ब्यान फ़र्माईं। इन शर्तों में बताया गया था कि जो लोग मेरी बैअत में शामिल होना चाहें उन्हें सच्चे दिल से यह प्रण करना होगा कि वह ख़ुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के आदेश के अनुसार शिर्क (अल्लाह के साथ साथी बनाना), झूठ, अत्याचार, लड़ाई झगड़ा, घमण्ड तथा अन्य सारे पापों से बचेंगे। बाक़ायदगी से नमाज़ें पढ़ेंगे। किसी पर अत्याचार नहीं करेंगे। ख़ुदा तआला के लिए हर मुसीबत सहन करेंगे। सब के साथ नम्रता तथा सहज भाव से सद्व्यवहार करेंगे धर्म सेवा को हर काम से अधिक प्यारा समझेंगे सारे लोगों से सहानुभूति तथा सहायता करेंगे तथा मरते दम तक इन शरारतों को पूरा करते रहेंगे।

जमाअत अहमदिया की नींव

मार्च 1889 ई. में आप लुधियाना तशरीफ़ ले गए। यहीं पर 22 मार्च 1889 ई. को लुधियाना के एक बुज़ुर्ग हज़रत सूफ़ी अहमद जान साहिब रज़ियल्लाहो अन्हो के मकान पर आपने बैअत लेना प्रारम्भ किया और इस प्रकार जमाअत अहमदिया की नींव रखी। हज़रत मौलवी हकीम नुरुद्दीन साहिब रज़ियल्लाहो अन्हो (पहले ख़लीफा) ने सब से पहले बैअत की। पहले दिन चालीस के लगभग असहाब (साथियों) ने बैअत की जिनमें से कुछ के नाम यह हैं।

1. हज़रत मौलवी अब्दुल्लाह साहिब सन्नौरी रज़ियल्लाहो अन्हो।
2. हज़रत चौधरी रुस्तम अली साहिब रज़ियल्लाहो अन्हो।
3. हज़रत मुन्शी ज़फ़र अहमद साहिब रज़ियल्लाहो अन्हो।
4. हज़रत मुन्शी अरोड़े ख़ान साहिब रज़ियल्लाहो अन्हो।
5. हज़रत मुन्शी हबीबुर्रहमान साहिब रज़ियल्लाहो अन्हो।
6. हज़रत क़ाज़ी ज़ियाउद्दीन साहिब रज़ियल्लाहो अन्हो।
7. हज़रत मीर इनायत अली साहिब रज़ियल्लाहो अन्हो।(शेष.....)

(शेख मुजाहिद अहमद शास्त्री)

☆ ☆ ☆

ख़ुत्बः जुमअः

लड़कों और लड़कियों के रिश्तों के मामलों और फिर रिश्तों के बाद पारिवारिक समस्याऐं ये ऐसे मामले हैं जो घरों में परेशानी और चिंता का कारण बनते रहते हैं। शादी के बाद पारिवारिक समस्याएं हैं वह केवल पति पत्नी के लिए समस्या नहीं होती बल्कि दोनों पक्ष के माता पिता के लिए भी परेशानी का कारण होते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर औलाद हो गई है तो बच्चों में भी चिंता पैदा कर रहे होते हैं और कभी कभी औलाद इसलिए धार्मिक और सांसारिक दोनों लिहाज़ से बिगड़ रही होती है और माता पिता और परिवार के लिए अधिक परेशानी पैदा करती है। मानो परेशानियों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है।

रिश्तों के मामलों और रिश्तों के बाद पैदा होने वाली विभिन्न घरेलु समस्याओं की पहचान और उन को दूर करने का इलाज के लिए धार्मिक और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के उपदेशों के हवाले से लोगों का मार्ग दर्शन।

अगर एक वाक्य में उनके विभिन्न पारिवारिक समस्याओं के कारण किए जाऐं तो यह है कि धर्म से दूरी है धार्मिक शिक्षाओं से अज्ञानता है और उदासीनता है और दुनियादारी और सांसारिक चीज़ों को लुभाना है। अतः अगर इन समस्याओं का समाधान खोजना है तो धार्मिक शिक्षा की रोशनी में करना होगा।

एक तरफ हम अपने आप को अहमदी कहते हैं इस बात का दावा करते हैं कि हम ने धर्म को दुनिया में प्राथमिकता कर रहे हैं तो फिर धार्मिक शिक्षाओं की रोशनी में इसका समाधान जो हमें कुरआन में हदीसों में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की शिक्षाओं में मिलता है।

आदरणीय मुहम्मद नवाज़ मोमिन साहिब पुत्र ख़ुदा बख्श मोमिन साहिब और आदरणीय सय्यद रफीक अहमद साहिब पुत्र आदरणीय डाक्टर सफीरुद्दीन साहिब की वफात और नमाज़ जनाज़ा ग़ायब , आजरणीय डाक्टर मिर्ज़ा लईक अहमद साहिब पुत्र आदरणीय साहिबज़ादा मिर्ज़ा हफीज़ अहमद साहिब और आदरणीय अमीनुल्लाह ख़ान सालिक साहिब पुत्र आदरणीय अब्दुल मजीद आफ वीरूवाल की वफात और नमाज़ जनाज़ा ग़ायब , मरहूमीन का ज़िक्रे ख़ैर।

ख़ुत्बः जुमअः सय्यदना अमीरुल मो'मिनीन हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाहो तआला बिनस्त्रिहिल अज़ीज़,
दिनांक 3 मार्च 2017 ई. स्थान - मस्जिद बैतुलफ़ुतूह, मोर्डन, यू.के.

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ۔ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۔ غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّآلِّيْنَ ۔

लड़कों और लड़कियों के रिश्तों के मामले और फिर रिश्तों के बाद पारिवारिक समस्याऐं ये ऐसे मामले हैं जो घरों में परेशानी और चिंता का कारण बनते रहते हैं। शादी के बाद पारिवारिक समस्याएं हैं वह केवल पति पत्नी के लिए समस्या नहीं होती बल्कि दोनों पक्ष के माता पिता के लिए भी परेशानी का कारण होते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर औलाद हो गई है तो बच्चों में भी चिंता पैदा कर रहे होते हैं और कभी कभी औलाद इसलिए धार्मिक और सांसारिक दोनों लिहाज़ से बिगड़ रही होती है और माता पिता और परिवार के लिए अधिक परेशानी पैदा करती है। मानो परेशानियों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। लगभग दैनिक मेरी मेल में ऐसे मामले आते हैं या मौखिक मुलाकात में लोग अपनी समस्याओं का ज़िक्र करते हैं।

एक ओर लड़कियों के रिश्तों का मुद्दा है पढ़ाई का बहाना बनाकर वास्तविक उम्र में रिश्ते नहीं किए जाते जब लड़की के रिश्ते की उम्र होती है कि अभी पढ़ रही है और जब ज़रा बड़ी हो जाती हैं, पढ़ लिख जाती हैं और बड़ी उम्र में रिश्ते हो जाते हैं तो understanding का न होने का बहाना बनाकर रिश्तों में दूरियाँ पैदा होती हैं इसमें दरारें पैदा होती हैं।

फिर कुछ लड़कियों की ये भी बातें देखने में आई हैं कि सहेलियां और दोस्त ग़लत रूप में ऐसे विचार उनके मन में पैदा करते हैं कि इन देशों में तुम्हारे बड़े अधिकार हैं। अपने पतियों को यह बताओ कि मेरे अधिकार देना है और यह न दो तो मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती और पतियों की हर बात माननी भी नहीं चाहिए। फिर कई बार माता-पिता ख़ुद भी लड़कियों को ऐसी बातें सिखाते हैं जिससे लड़का लड़की या पति पत्नी का आपस का विश्वास खत्म हो जाता है या संदेह उभरने लगते हैं।

अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान से यहां रिश्ता करवा कर आई हुई लड़कियां भी जो पश्चिमी देशों में आती हैं वे भी यहाँ आज़ादी को देखकर इस रंग में रंग कर फिर ग़लत मांग शुरू कर देती हैं बल्कि कई बार बसने से पहले ही यहां पहुंच कर रिश्ते तोड़ देती हैं और यह स्थिति सिर्फ लड़कियों की नहीं है बल्कि लड़के भी यही कुछ कर रहे हैं बल्कि ऐसी हरकतों में वे शायद लड़कियों से कुछ ज्यादा ही है और इसकी वजह यह है कि अक्सर लड़के और लड़कियां भी क़ौल सदीद (सच्ची बात) से काम नहीं लेते। जिस बात का रिशते से विशेष संबंध है। क़ौल सदीद (सच्ची बात) के बारे में शादी पर जो आयतें पढ़ी जाती हैं उनमें क़ौल सदीद (सच्ची बात) के बारे में विशेष रूप से ज़ोर दिया है। पूरी स्थिति एक दूसरे को नहीं बताई जाती फिर माता-पिता कई बार लड़कियों पर ज़बरदस्ती करके ऐसे रिश्ते करवा देते हैं जो शैक्षिक अंतर और रहन-सहन के कारण मैच नहीं रख रहे होते कि बाद में ठीक हो जाएगा।

इसी तरह कुछ लड़के कहीं और रुचि रख रहे होते हैं लेकिन माँ बाप के सामने इन्कार नहीं करते और पाकिस्तान में शादी कर लेते हैं या उन्हें यहाँ अपने प्रियों में उनकी इच्छाओं के अनुसार शादी कर लेते हैं और फिर कुछ समय बाद उन बेचारी लड़कियों पर अत्याचार होना शुरू हो जाता है। पहले उसके पति द्वारा अत्याचार होता है फिर वही ससुराल या सास जो बड़ी चाहत से लेकर आती है उनके द्वारा अत्याचार होता है। फिर बाकी रिश्तेदारों द्वारा अत्याचार होता है। बहरहाल चाहे लड़के हैं या लड़कियां हैं। एक तरफ का ससुराल है या दूसरी ओर किसी पर भी इन सारी बातों का सौ प्रतिशत आरोप नहीं डाला जा सकता। कुछ स्थितियों में लड़के दोषी होते हैं कुछ स्थितियों में लड़कियां दोषी होती हैं।

फिर पारिवारिक समस्याएं जैसा कि मैंने कहा बच्चों पर भी प्रभावित होती हैं। जब कई बच्चे होने के बाद कुछ समय के बाद अच्छी भला जीवन बिताने के बाद एकदम पुरुष के दिमाग़ में कीड़ा कुलबलाता है और वह यह कहता है कि मेरा अपनी पत्नी के साथ गुज़ारा नहीं हो सकता। इसलिए मैं दूसरी शादी करने लगा हूँ या तुम्हें तलाक देने लगा हूँ या एक समय के बाद पत्नी कहती है कि मैंने अपना जीवन इस व्यक्ति के साथ बड़ी तकलीफों में बिताया है अब बर्दाश्त नहीं कर सकती इसलिए ख़ुलअ लेनी है। यहां यह भी बता दूं कि जमाअत में ख़ुलअ की जो तुलना है वह तलाक से अधिक है अर्थात ख़ुलअ के आवेदन क़ज़ा में अधिक आते हैं। बहरहाल ऐसी अवस्था में बच्चे प्रभावित होते हैं और यह तो जानकारी रखने वाले सांसारिक संस्थाओं के डेटा से भी सिद्ध है कि माता-पिता की जुदाई के बाद जिसके पास भी बचे रह रहे हैं वे मानसिक और नैतिक और दूसरी क्षमताओं के मामले में पीड़ित रहे हैं। बहरहाल इन दर्दनाक हालात का जिम्मेदार कोई भी हो। चाहे लड़के लड़कियों पर दोष देते हैं और यह कहकर देते हैं कि पश्चिमी वातावरण में लड़कियों को उनके कैरियर बनाने की वजह से परेशानी पैदा करती हैं और रिश्ते नहीं निभातीं

या शुरू में हम कुछ कारणों की वजह से माता पिता के साथ रहना चाहते हैं तो लड़कियां रहने नहीं देना चाहती या धर्म का उन्हें ज्ञान नहीं या लड़के से ग़लत उम्मीदें रखी जाती हैं जैसे तुरंत नया घर लो और ऐसा घर हो जो तुम्हारी सम्पत्ति भी हो।

फिर जीवन साथी के मामलों में लड़की के माता-पिता का दख़ल है।

फिर सही स्थिति न बताने की वजह से, एक दूसरे से क़ौल सदीद न करने की वजह से शिकवे पैदा होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया कि क़ौल सदीद (सच्ची बात) से काम नहीं लिया जाता जो कि अति आवश्यक है। इसी तरह लड़कियों के दिलों में कुछ बातें लड़के और उसके परिवार के लिए होती हैं। जैसे यह कि लड़की के माँ या रिश्तेदार जो हैं लड़की के सामने हर समय लड़के की सराहना करते रहे हैं कि हमारा लड़का ऐसा हमारा लड़का वैसा और लड़की को किसी न किसी बहाने कम कर के साबित करने की कोशिश की जाती है। जैसे छोटा कद है मोटी है रंग गोरा नहीं है आदि आदि। अगर लड़की किसी कारण से कोई नौकरी कर रही है तो फिर भी उसे ताने मिलते हैं। फिर लड़के और लड़की के संबंध हैं पत्नियों के संबंध हैं उनमें भी लड़के वालों का हस्तक्षेप होता है। लड़के लड़कियों की यह भी शिकायत है कि लड़के अपनी ज़िम्मेदारी शादी की पूरी नहीं करते। इन में जिम्मेदारी की भावना नहीं है और यहां के वातावरण के प्रभाव से लड़के आमतौर से यहाँ पच्चीस साल छब्बीस साल के लड़के भी कहो कि तुम बड़े हो गए हो तो कहेगा नहीं अभी तो मैं छोटा हूं शादी के लायक नहीं। यहां के वातावरण के प्रभाव हमारे अहमदी लड़कों और एशियन रीजन के लड़कों में भी यही बीमारी है कि वे कहते हैं कि अभी तो हम छोटे हैं और ज़िम्मेदारी नहीं निभा सकते। अगर छोटे हैं और जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो फिर शादी करने की क्या ज़रूरत है। बहरहाल शकों का यह सिलसिला चलता है और दोनों तरफ से चलता चला जाता है।

इसी तरह कई साल रहने के ज़िन्दगी गुज़ारने के बाद जैसा कि मैंने कहा बहुत समय हो जाता है, बच्चे बड़े होने शुरू हो जाते हैं तो शिकवे पैदा होते हैं और केवल बचगाना बातें होती हैं और बेसब्री और ग़लत दोस्ती ऐसी बातें पैदा करती है और अगर एक वाक्य में उनके विभिन्न पारिवारिक समस्याओं के कारण वर्णन किए जाऐं तो यह है कि धर्म से दूरी है। धार्मिक शिक्षाओं से अज्ञानता है और उदासीनता है और दुनियादारी और सांसारिक चीज़ों को लुभाना है। अत: अगर इन समस्याओं का समाधान खोजना है तो धार्मिक शिक्षा की रोशनी में करना होगा।

एक तरफ हम अपने आप को अहमदी कहते हैं इस बात का दावा करते हैं कि हम धर्म को दुनिया में प्राथमिकता कर रहे हैं तो फिर धार्मिक शिक्षाओं की रोशनी में इसका समाधान जो हमें कुरआन में, हदीसों में, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की शिक्षाओं में मिलता है। हमारे सौभाग्य है कि इस्लाम स्वीकार किया, हम मुसलमान हैं और इस युग में फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को स्वीकार किया जिन्होंने हमारे से प्रत्येक अवस्था में धर्म को दुनिया में प्राथमिकता करने के लिए वादा लिया है।(उद्धरित मल्फ़ूज़ात भाग 7 पृष्ठ 391) यह वादा हम विभिन्न अवसरों पर दोहराते हैं लेकिन जब इस पर अनुकरण का समय आए तो भूल जाते हैं। शादी ब्याह के मौके पर तो अच्छे भले ज़ाहिर धर्म की सेवा करने वाले यह भूल रहे हैं हालांकि शादी ब्याह और रिश्ते के लिए तो विशेष निर्देश भी हमें आँ हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से मिले हैं कि शादी ब्याह के मामले में धर्म को दुनिया में प्राथमिकता करनी है। धर्म को प्राथमिकता करके अगर दुनिया मिल जाए तो यह अल्लाह तआला की कृपा है और दुनिया वालों की ज़बान में हम अगर कहीं तो यह बोनस है लेकिन अगर केवल दुनिया को देखा जाए तो धर्म को प्राथमिकता देने का दावा हो तो फिर समस्याएं पैदा होती हैं क्योंकि सच्चाई नहीं है। अत: आँ हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि रिश्ते की तलाश के समय प्राथमिकता के आधार पर अपने सामने रखने के लिए आप ने फ़रमाई जिस की रिवायत हज़रत अबु हुरैरा रज़ियल्लाहो अन्हो से मिलती है कि आँ हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महिला से चार कारणों से शादी की जाती है। इस की संपत्ति की वजह से, इस की नस्ल और वंश के कारण, इस के परिवार की वजह से, उस की सुंदरता के कारण, और उसके धर्म के कारण। अत: तुम नेक महिला का चयन करो ख़ुदा तुम्हारा भला करे।(सहीह अल्बुख़ारी कितबुन्निकाह हदीस 5090) अगर इस बात को लड़के भी और लड़के के घर वाले भी सामने रखने लग जाएं तो लड़कियों और लड़की के घर वाले अपनी पसंद जो है वे धर्म को करेंगे और जब धर्म प्राथमिकता होगी तो कई शिकवे और आरक्षण जो लड़की और लड़का और घरवालों के बारे में, एक दूसरे के बारे में पैदा होते हैं वे बंद हो जाएंगे और जो लड़का धार्मिक लड़की की तलाश में होगा और धर्म को प्राथमिकता कर रहा होगा उसको अपना अनुकरण भी धार्मिक शिक्षा के अनुसार ढालना शुरू होगा। और जो धार्मिक शिक्षा का पालन कर रहा होगा उसके घर में बिना कारण छोटी छोटी बातों पर झगड़े और दंगे नहीं पैदा हो रहे होंगे और न ही लड़के के घर वाले लड़की के लिए मुश्किलें पैदा करने वाले होंगे।

फिर इस्लाम यह शिक्षा देता है कि धर्म देखना वास्तव में प्राथमिकता है परन्तु कई बार प्रत्येक जोड़ के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए रिश्तों पहले इस्तिख़ारह: कर लिया करो।

(सहीह अल्बुख़ारी हदीस 6382)

अल्लाह तआला से रिश्ते के लिए भलाई चाहो। फिर यह कि यदि अल्लाह तआला के पास इस रिश्ते में ख़ैर नहीं है तो यह रोक पैदा कर दे। इस बारे में हज़रत ख़लीफतुल मसीह अव्वल ने एक मौके पर बड़े सुंदर ढंग से फरमाया कि "नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने बड़ा ही फज़ल फरमाया है कि हम को ऐसी राह बताई है कि हम अगर इस पर अनुकरण करें तो इंशा अल्लाह शादी ज़रूर सुख का कारण होगा और जो उद्देश्य और लक्ष्य कुरआन में निकाह से बताया गया है वह संतोष और प्रेम का कारण हो वह पैदा होती है।"(शादी ब्याह इसलिए किया जाता है ताकि एक दूसरे के लिए संतोष हो और आपस में प्यार और मुहब्बत पैदा हो इसका कारण होता है।) फरमाया कि "पहला उपाय यह बताया कि विवाह के लिए धर्म उद्देश्य हो।" (पहले उल्लेख हो चुका है कि धर्म की तलाश करना है।) "हुस्न व तथा सुन्दरता पर फिदा होना या धन प्राप्त या केवल उच्च वंश इस की प्रेरणा देने वाले न हों। पहले नेक इरादे हो। फिर उसका इस के बाद दूसरा काम यह है कि शादी से पहले बहुत इस्तिख़ारह: करो।"

(ख़ुत्बाते नूर पृष्ठ 518-519 ख़ुत्बा 25 दिसम्बर 1911ई)

अत: रिश्ते से पहले जब बन्दा दुआ में अल्लाह तआला से संतोष और प्यार से जीवन बिताने की दुआ करे और यह दुआ करे कि अगर इसमें मेरे लिए संतोष है और अच्छाई है तो यह रिश्ता हो और शादी हो जाए तो शादीशुदा जीवन अल्लाह तआला की कृपा से बड़ी सफलता से गुज़रता है लेकिन यह भी याद रखें कि शादी के बाद भी शैतान विभिन्न माध्यम से हमले करता रहता है। इसलिए यह दुआ हमेशा करते रहना चाहिए कि शादी हमेशा शांति और मुहब्बत और स्नेह से गुज़रे।

फिर हज़रत ख़लीफतुल मसीह अव्वल ने एक अवसर पर इस्तिख़ारह: का महत्त्व बताया है। इस की नसीहत करते हुए आपने फरमाया कि

"बड़े बड़े कामों में से निकाह भी एक काम है।"(एक छोटा काम नहीं है बड़े बड़े कामों में से एक काम है।) "अक्सर लोगों का यही मानना है कि बड़ी क़ौम का आदमी हो नस्ल और वंश में उच्च हो माल उसके पास हो हुकूमत और महिमा हो। सुंदर और जवान हो मगर हमारे नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोशिश करो कि नेक इंसान मिल जाए चाहे" (चाहे वह लड़की है या लड़का है) "और चूंकि वास्तविक ज्ञान, चरित्र आदतों और ईमानदारी के बारे में पता होना मुश्किल काम है जल्दी से पता नहीं लग सकता।" (कुछ रिश्ते टूटते हैं तो वे यही कहते हैं कि हम ने ज़ाहिर में यह देखकर रिश्ता कर लिया है कि धार्मिक है अच्छे आचरण हैं सब कुछ है लेकिन बाद में पता लगा सब कुछ ग़लत था। क्योंकि यह पता नहीं लग सकता) "इसलिए यह फरमाया है कि इस्तिख़ारह: अवश्य कर लिया करो।"

(ख़ुत्बाते नूर पृष्ठ 254 ख़ुत्बा 13 सितम्बर 1910ई)

आपने फरमाया कि हम अंजाम से अनजान होते हैं मगर अल्लाह तआला तो भविष्य का जानने वाला है इसलिए पहले ख़ूब इस्तिख़ारह: करो और अल्लाह तआला से मदद चाहो।"

(ख़ुत्बाते नूर पृष्ठ 478 ख़ुत्बा 26 अगस्त 1910ई)

आप ख़ुत्बा निकाह में पढ़ी जाने वाली आयतों के संबंध में फरमाते हैं कि इन में यह उपदेश है कि तक्वा को सामने रखते हुए रहमी रिश्तों का ख्याल रखो। क़ौल सदीद (सच्ची बात) से काम लो। यह समीक्षा करो कि तुम अपने कल के लिए क्या आगे भेज रहे हो। अगर तुम ने जीवन की उपलब्धियां देखनी हैं तक्वा बहुत ज़रूरी है। इस बारे में इस्तिख़ारह: के बाद जब शादी का अवसर आता है तो आप फरमाते हैं कि "इस ख़ुत्बा में भी (अर्थात निकाह पर जो आयत तिलावत की जाती है) इस बात की ओर आकर्षित किया कि उन दुआओं से काम ले और अपने कार्यों के परिणाम को सोचे और विचार करे। फिर शादी

की बधाई के अवसर पर भी नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई कि बराकल्लाहो लक व बारको अलैक व जमअ बैनकुमा फिल ख़ैर।(जामिअ तिरमज़ी) अर्थात अल्लाह तआला तुम्हें बरकत दे और तुम दोनों पर बरकत नाज़िल करे और तुम दोनों को नेकी पर जमा करे।(ख़ुत्बाते नूर पृष्ठ 519-520 ख़ुत्बा जुम्अ 25 दिसम्बर 1911ई) इसलिए हर अवसर पर ख़ैर और बरकत की दुआ की जाती है तो फिर रिश्ते मुबारक भी होते हैं।

कुछ लोग पाकिस्तानी और भारतीय माहौल के प्रभाव में अब तक ख़ानदान वाले बिरादरी के मुद्दे में उलझे हुए हैं जबकि अल्लाह तआला तो यह कहता है कि जब रिश्ते आएं तो दुआ करो। दुआ करो और इस्तिख़ारह: करो। धर्म को प्राथमिकता दो। तो बजाय इस के कि दुआ करें, धर्म को प्राथमिकता दे, ये बातें उनके समक्ष नहीं होतीं बल्कि बिरादरी और क़ौम ध्यान में होती है।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि "रिश्ता नाता मैं सिर्फ यह देखना चाहिए कि जिस से निकाह किया जाता है वह नेक किस्मत और नेक स्वरूप आदमी है और एक ऐसी आपदा में पीड़ित नहीं जो फित्ना का कारण हो और याद रखना चाहिए कि धर्म में कौमों का कुछ लिहाज़ नहीं। केवल तक्वा और नेकी का लिहाज़ है।

(मल्फ़ूज़ात भाग 9 पृष्ठ 46 प्रकाशन 1985 ई यू.के)

अत: यह बुनियादी सिद्धांत है कि तक्वा देखो। बाकी सब बातें बिदअते हैं। हां कफु (समानता) देखने का इरशाद है इसलिए कफू (बराबरी) देखना चाहिए लेकिन उसमें भी सख्ती नहीं होनी चाहिए।

कफू को किस हद तक देखना चाहिए इस बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से किसी के सवाल और आप के जवाब का उल्लेख मिलता है। "एक दोस्त का सवाल पेश हुआ कि एक अहमदी अपनी एक लड़की बिना कफू एक अहमदी के यहाँ देना चाहता है हालांकि अपने कफू में रिश्ता मौजूद है। इस बारे में आपका क्या आदेश है? हज़रत अक़्दस अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि अगर कफू के अनुसार रिश्ता मिले तो अपने कफू में करना दूसरे कफू में करने से बेहतर है। लेकिन यह बात फर्ज़ के तौर पर हो।"(फर्ज़ नहीं है हां बेहतर है।) फरमाया कि "प्रत्येक व्यक्ति अपने ऐसे मामलों में अपनी युक्ति और अपनी औलाद की बेहतरी को ख़ूब समझ सकता है। अगर कफू में किसी और को इस योग्य नहीं देखता तो दूसरी जगह देने में हर्ज नहीं और ऐसे व्यक्ति को मजबूर करना कि वे बहरहाल अपने कफू में अपनी लड़की दे जायज़ नहीं।"

(अल्वदर दिनांक 11 अप्रैल 1907 ई पृष्ठ 7 जिल्द 6 नम्बर11)

कुछ लोगों को अपने परिवारों पर बड़ा भरोसा होता है ऐसे ही एक व्यक्ति को हज़रत ख़लीफतुल मसीह अव्वल ने एक बार खूब पकड़ा। एक ओर विचार होता है और एक तरफ अपनी अवस्था क्या है? हज़रत ख़लीफतुल मसीह सानी फरमाते हैं कि "हज़रत ख़लीफतुल मसीह अव्वल के पास एक बार एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि "मैं सय्यद हूँ मेरी बेटी की शादी है। आप इस अवसर पर मेरी कुछ मदद करें।.... आपने फरमाया "मैं तुम्हारी बेटी की शादी के लिए वह सारा सामान तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ जो कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को दिया था। यह सुनते ही अपने आप कहने लगा आप मेरी नाक काटना चाहते हैं।" (दहेजों का इतना रिवाज है और इसलिए कुछ समस्याएं भी पैदा होती हैं।) हज़रत ख़लीफा अव्वल ने फरमाया कि "तुम्हारी नाक मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की नाक से भी बड़ी है। तुम्हारी इज्ज़त तो सय्यद होने में है फिर अगर इतना दहेज देने से नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की उपेक्षा नहीं हुई तो तुम्हारी कैसे हो सकती है?"(तफसीर कबीर आयत सीरत अश्शुअरा जिल्द 7 पृष्ठ 20) एक तरफ तुम कहते हो मैं सय्यद हूँ फिर अपमान किस बात का।

अत: कई बार लड़कियों को यह ताने भी मिलते हैं कि दहेज थोड़ा है उन लोगों के लिए भी शिक्षा है जो लड़कियों को भावनात्मक कष्ट देते हैं और इसी तरह लड़की वालों के लिए भी कि दहेज ताकत के अनुसार दें। जितनी ताकत है ज़रूर देना चाहिए लेकिन बेवजह अपने पर बोझ नहीं डालना चाहिए।

इस्तिख़ारों से पहले जहां रिश्ते की इच्छा हो उस लड़की को भी देखना चाहिए इस बारे में आं हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का इरशाद है जो "हज़रत अबु हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास था। आपके पास एक व्यक्ति आया उसने बताया कि उसने अंसार की एक महिला को शादी का संदेश भिजवाया है रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि तुम ने उस औरत को देख लिया है? उसने कहा। नहीं। आपने फ़रमाया पहले उसे देख लो क्योंकि अंसार के आंखों में कुछ चीज़ होती है।(सहीह मुस्लिम)

अत: लड़की को देख कर लड़की वालों के घर जाकर देखना इसमें कोई हर्ज नहीं लेकिन कुछ लड़के वाले अपने अहंकार के कारण लड़कियों के घरों में अपने बेटों के साथ जाते हैं कि रिश्ता देखने आए हैं क्योंकि रिश्ता नाता ने यह रिश्ता नाता ने प्रस्ताव दिया है और फिर जैसा कि मैंने कहा यह अहंकार की वजह से इसलिए कि वहां जाकर उनकी बातें विचित्र प्रकार की हो रही होती हैं बावजूद इसके कि पहले फोटो भी देख चुके होते हैं डेटा का भी तबादला हो चुका होता है लेकिन फिर भी लटकाते है और इस समय में सांसारिक लिहाज़ से यदि कोई बेहतर रिश्ता उन्हें मिल जाए तो पहले रिश्ता को ख़त्म कर देते हैं। यह ग़लत तरीका है।

अहमदी लड़कियों की बहुमत माता पिता का सम्मान करती है और उनके सुझाए गए रिश्तों को स्वीकार कर लेती है लेकिन कुछ जगह लड़के वाले आते हैं जैसा कि मैंने कहा देखते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। जब फोटो भी देख ली डेटा भी देख लिए। सब कुछ पता लग गया। कद काठ कितना है तो बेवजह लटका कर या कुछ बातें कर लड़की को भावनात्मक कष्ट नहीं देनी चाहिए।

शादी का उद्देश्य जो हमें धर्म बताता है अगर इस पर अनुकरण किया जाए तो लड़कियों को भावनात्मक कष्ट न पहुंचे और न ही लड़के वालों से अहंकार या भावनाओं से खेलने की घटनाएं हों।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम शादी का उद्देश्य बयान करते हुए फरमाते हैं कि

"हमें कुरआन ने यह शिक्षा दी है कि परहेज़गार रहने के लिए निकाह करो।" (निकाह का उद्देश्य क्या है? परहेज़गार रहना) "और नेक संतान मांगने के लिए दुआ करो" (और फिर जब शादी हो जाए तो नेक संतान के लिए दुआ करो) "जैसा कि वह अपने पवित्र कलाम में फरमाता है। मुहसेनीन ग़ैर मसाफेहीन।....(अन्निसा:25) अर्थात चाहिए कि तुम्हारा निकाह इस इरादे से हो कि जिससे तुम तक्वा और संयम के किले में प्रवेश कर जाओ .....और "मुहसनीन" के शब्दों में यह भी पाया गया है कि जो शादी नहीं करता वह न केवल आध्यात्मिक आपदाओं में गिरता है बल्कि शारीरिक आपदाओं में भी पीड़ित हो जाता है। अत: कुरआन शरीफ से प्रमाणित होता है कि शादी के तीन लाभ हैं" (और इसी उद्देश्य के लिए करना चाहिए। वे क्या हैं।) एक शुद्धता और परहेज़गारी, दूसरी स्वास्थ्य की रक्षा तीसरी संतान।"

(आर्य धर्म, रूहानी ख़ज़ायन भाग 10 पृष्ठ 22)

अत: अगर ये बातें मद्देनजर रहें तो रिश्ते तय करते समय समस्याएं न हों और दुनियादारी देखने के स्थान पर मनुष्य पहले धर्म देखे। फिर इन बातों को ध्यान में रखते हुए शादी करे।

कई घरों में इसलिए फसाद और लड़ाई झगड़े होते हैं कि लड़की ब्याह के बाद जब विदा होता है तो पति के पास अलग घर नहीं होता और वह अपने माता पिता के साथ रह रहा होता है। इसमें कुछ परिस्थितियों में तो मजबूरी होती है कि लड़के की इतनी आय नहीं है कि वह अलग घर ले सके या लड़का अब पढ़ रहा है तो मजबूरी है और लड़की को भी पता होना चाहिए कि लड़के की आय या मजबूरी के कारण अलग घर लेना मुश्किल है तो ऐसी स्थिति में और कुछ समय वह ससुराल में गुज़ारा करे लेकिन कई बार लड़की और उसके माता पिता की जल्दबाज़ी की वजह से रिश्ते ही तुड़वा देते हैं। शादी भी हो गई और फिर ख़ुलअ ले ली। यह ग़लत काम है। अगर ससुराल में नहीं रह सकते तो पहले पता है और फिर इतनी जल्दी शादी न करें क्योंकि लड़के वाले के हालात ऐसे नहीं हैं।

लेकिन कुछ लड़के अपनी ग़ैर जिम्मेदाराना तबीयत या माता पिता के कहने पर उनके दबाव में माता-पिता के साथ रहते हैं, हालांकि अलग घर ले सकते हैं और बहाना है कि माता-पिता बूढ़े हैं इसलिए उनके साथ रहना चाहिए जबकि दूसरे भाई बहन भी माता-पिता के साथ होते हैं या फिर अगर वह न भी हों तो माता पिता की सामान्य स्वास्थ्य और हालत ऐसी नहीं है कि वे अलग न रह सकते हों । इसमें केवल लड़के के माता-पिता की ज़िद होती है। इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। अल्लाह तआला कुरआन में फरमाता है।

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمٰى حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْمَرِيْضِ

حَرَجٌ وَّ لَا عَلٰٓى اَنۡفُسِكُمۡ اَنۡ تَاۡكُلُوۡا مِنۡۢ بُيُوۡتِكُمۡ اَوۡ بُيُوۡتِ اٰبَآئِكُمۡ اَوۡ بُيُوۡتِ اُمَّهٰتِكُمۡ

(अन्नूर:62)

अर्थात अंधे पर कोई हर्ज नहीं और न लूले लंगड़े पर हर्ज है न मरीज़ पर न तुम लोगों कि अपने घरों से या अपने माता पिता के घरों से खाना खाओ या अपनी माताओं के घरों से। यह लंबी आयत है लेकिन इतने हिस्से की व्याख्या फरमाते हुए हज़रत ख़लीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहो अन्हो ने बड़े सुंदर ढंग से यह विस्तार किया है फरमाया कि "भारत में लोग अक्सर अपने घर में केवल सास बहू की लड़ाई की शिकायत करते रहते हैं। कुरआन का पालन करें तो ऐसा न हो। देखो इसमें (अर्थात इस आयत में) इरशाद है कि घर अलग हों। माँ का घर अलग, शादी वाली औलाद का घर अलग।"(जब अलग घर होंगे तभी तो खाना खाने की अनुमति है।)

(हकायकुल फुर्कान जिल्द 3 पृष्ठ 233)

इसलिए किसी मजबूरी को छोड़कर घर अलग होने चाहिए। घरों की जुदाई से जहां सास बहू और नंद भाभी की समस्याएं समाप्त होंगी वहां लड़के और लड़की को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास भी होगा।

यहां यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ लोग अपनी लड़कियों के रिश्ते से पहले लड़के से पूछते हैं कि उसका अपना घर है अर्थात घर का मालिक है। उस के पास अपने घर का स्वामित्व है। यदि नहीं तो रिश्ता नहीं करते। यह तरीका भी बड़ा ग़लत काम है। इसलिए सांसारिक लालच के स्थान पर लड़की वालों को लड़के की नेकी को देखना चाहिए। घर तो धीरे धीरे बन ही जाते हैं अगर घर में प्यार मुहब्बत हो।

इसी तरह कुछ जगह से कुछ देशों से मुझे यह भी शिकायत आती है कि कुछ जो हमारे मुरब्बी बन रहे हैं लोग उनसे रिश्ता अपनी बेटियों का इसलिए नहीं करना चाहते कि वह मुरब्बी वक्फ ज़िन्दगी है। यह भी ग़लत तरीके है हालांकि धर्म देखना चाहिए।

फिर पुरुषों को अल्लाह तआला यह नसीहत करता है कि महिलाओं की बातों पर जल्दबाजी से फैसला न कर लिया जाए और उनसे ग़लत व्यवहार न हों। उनकी बातों को बुरा न मनाएं। अल्लाह तआला ने यह बयान फरमाते हुए कि

وَ عَاشِرُوۡهُنَّ بِالۡمَعۡرُوۡفِ ۚ فَاِنۡ كَرِهۡتُمُوۡهُنَّ فَعَسٰٓى اَنۡ تَكۡرَهُوۡا شَيۡـًٔا وَّ يَجۡعَلَ اللّٰهُ فِيۡهِ خَيۡرًا كَثِيۡرًا

(अन्निसा: 20) और उन से नेक व्यवहार से ज़िन्दिगी गुज़ारो فَاِنۡ فَعَسٰٓى اَنۡ تَكۡرَهُوۡا شَيۡـًٔا (यदि तुम उन्हें नापसंद करो) كَرِهۡتُمُوۡهُنَّ तो संभव है कि आप एक चीज़ को नापसंद करो और अल्लाह इसमें बहुत भलाई रख दे।

हज़रत ख़लीफतुल मसीह अव्वल इसकी व्याख्या करते हैं और फरमाते हैं कि "प्रियो तुम देखो अगर तुम्हें अपनी पत्नी की कोई बात नापसंद हो तो तुम इसके साथ उत्कृष्ट व्यवहार ही करो। ख़ुदा कहता है कि हम इस में उत्कृष्टता और खूबी डाल देंगे। हो सकता है कि एक बात वास्तव में उत्कृष्ट हो और तुम्हें बुरी लगती हो।

(ख़ुत्बाते नूर पृष्ठ 255 ख़ुत्बा जुम्अ 13 सितम्बर 1907 ई)

इसलिए जो पति पत्नियों को छोड़ने में जल्दबाजी करते हैं या अच्छा व्यवहार नहीं करते या महिलाओं की भावनाओं का ख्याल नहीं रखते या महिलाओं की कुछ बातों पर बुरा मान कर उनके साथ ग़लत व्यवहार रखते हैं। यह नसीहत है उनके लिए कि महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करो। पत्नियों की जो तुम्हारे विचार में ज़ाहिर में अवांछित बातें हैं उनके बारे में भी निर्णय लेने में जल्दबाजी न करो क्योंकि ज़ाहिर में अवांछित बात में भी हो सकता है कि भलाई छिपी हो और जल्दबाजी और ग़लत व्यवहार के कारण इस भलाई और अच्छाई से तुम वंचित हो जाओ।

इसलिए महिलाओं का सम्मान अल्लाह तआला ने विभिन्न तरीकों से हिदायत फरमाई है और पुरुषों को अपने सामने रखना चाहिए।

फिर पुरुषों की दूसरी शादी या दूसरी शादी की इच्छा के कारण कई समस्याएं सामने आ रही हैं। घरों में लड़ाई झगड़े पड़े हुए हैं। पुरुषों को याद रखना चाहिए कि अगर दूसरी शादी की इस्लाम में अनुमति दी है तो कुछ शर्तें और वैध ज़रूरत को सामने रखते हुए। यह नहीं कि बच्चों वाले हैं। हंसता बस्ता घर है और यहां के वातावरण के प्रभाव या थोड़ी सी सुविधा अल्लाह तआला ने दे दी तो शौक पूरा करने के लिए शादी कर ली यह ग़लत तरीके से दोस्तियाँ कर के शादी कर लें।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस बारे में विस्तृत निर्देश दिया है। उसे सामने रखना चाहिए। आपने फरमाया कि "ख़ुदा के कानून को उस की इच्छा के विपरीत कभी न करना चाहिए और न उससे ऐसा लाभ उठाना चाहिए जिससे वह केवल नफसानी भावनाओं की एक ढाल बन जाए।" (अपनी नफसानी भावनाओं को पूरा करने के लिए तुम अल्लाह तआला के क़ानून को ढाल बना लो। यह नहीं होना चाहिए।) "याद रखें कि ऐसा करना गुनाह है। अल्लाह तआला बार-बार कहता है कि कामुकता का तुम पर प्रभुत्व न हो बल्कि तुम्हारा उद्देश्य प्रत्येक बात में तक्वा हो।" फरमाया कि "अगर शरीयत को ढाल बना कर कामुकता के अनुसरण के लिए पत्नियां की जाएंगी तो सिवाय इसके और क्या परिणाम होगा कि दूसरी क़ौमें आपत्ति करें कि मुसलमानों को पत्नियों के सिवा और कोई काम ही नहीं है।"(अपने नफसानी उद्देश्यों को अगर तुम ढाल बना के शादियाँ करते हो तो यह उचित नहीं है। बिल्कुल ग़लत है कि संबंध बना के अपने पुराने पत्नियों को छोड़ दो और नई महिलाओं से संबंध बना के शादियाँ करो। यह ग़लत तरीका है और इस पर फरमाया कि लोग आपत्ति करें तो ठीक करेंगे कि मुसलमानों को शादियों को छोड़ कर कोई काम नहीं।) फरमाया कि "व्यभिचार का नाम ही गुनाह नहीं है बल्कि कामुकता का खुले तौर पर दिल में पड़ जाना गुनाह है। सांसारिक लाभ का हिस्सा मानव जीवन में बहुत ही कम होना चाहिए।" (यह जो सांसारिक लाभ है इसका हिस्सा मानव जीवन में कम हो)"फलज़हकू कलीलन वल यकब्बू कसीरन।" अर्थात हंसो थोड़ा और रोओ बहुत का मिसदाक़ बनो लेकिन जिस व्यक्ति के सांसारिक लाभ बहुत से हैं" (जिन की सांसारिक इच्छाएं और लाभ बहुत अधिक हैं) और "वे रात दिन पत्नियों में व्यस्त रहते हैं उस को तरलता और रोना कब प्राप्त होगा।" (और यही हाल दूसरे लग़ों कामों का है जिनमें मनुष्य व्यस्त हो जाता है।) फरमाया कि "अक्सर लोगों की यह अवस्था है कि वह एक विचार के समर्थन और अनुसरण में सारे सामान करते हैं और इस तरह से अल्लाह तआला की मूल इच्छा से दूर जा पड़ते हैं। अल्लाह तआला ने हालांकि कुछ वस्तुए वैध तो कर दी हैं मगर इससे यह मतलब नहीं है कि उम्र ही में इस में व्यतीत की जाए। अल्लाह तआला तो अपने बन्दे के गुण में फरमाता है कि الَّذِيۡنَ يَبِيۡتُوۡنَ لِرَبِّهِمۡ سُجَّدًا وَّ قِيَامًا(अल्फुकरान: 65) वे अपने रब्ब के लिए सारी रात सिज्दे और क़याम में बिताते हैं। अब देखो रात दिन पत्नियों में डूबे रहने वाला ख़ुदा की इच्छा के अनुसार रात कैसे इबादत में गुज़ार सकता है। वे पत्नियां क्या करता है मानो ख़ुदा के लिए भागीदार बनाता है। आँ हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की नौ पत्नियां थीं और बावजूद इनके फिर भी सारी-सारी रात ख़ुदा की इबादत में बिताते थे।" फिर आपने फरमाया कि "ख़ूब याद रखो कि ख़ुदा की मूल इच्छा यह है कि तुम पर कामुकता प्रभुत्व न पाए और तक्वा की पूर्णता के लिए अगर वास्तविक ज़रूरत हो तो दूसरी पत्नी कर लो।" दूसरी शादी करना भी भी तक्वा के कारण है। इसलिए यह शादी वैध है और यह आकलन की जरूरत है उन सभी को जो दूसरी शादियां करने की इच्छा रखते हैं कि शादी तक्वा पर आधारित है या नफसानी भावनाओं के कारण।

फिर आपने फरमाया "अत: जानना चाहिए कि जो व्यक्ति कामुकता के अनुसरण से अधिक पत्नियाँ करता है वह इस्लाम की वास्तविकता से दूर रहता है। प्रत्येक दिन जो चढ़ता है और रात जो आती है तो वह सख्ती से जीवन व्यतीत नहीं करता और रोता कम या बिल्कुल ही नहीं रोता और हँसता अधिक है तो याद रहे कि वह हलाकत का निशान है।"

(मल्फूज़ात भाग 65 से 67 प्रकाशन 1985 ई यू .के)

फिर आप ने महिलाओं को भी नसीहत फ़रमाई कि अगर मर्द वैध ज़रूरत से शादी करना चाहे तो शोर नहीं मचाना चाहिए लेकिन आप ने यह भी फरमाया कि तुम्हें अधिकार है कि दुआ करो कि अल्लाह तआला यह मुश्किल तुम्हारे पर न लाए। जैसा कि पुरुषों को भी फरमाया है कि शादी केवल शौक पूरा करने के लिए नहीं होनी चाहिए।

आप फरमाते हैं कि "हमारे इस समय कुछ विशेष बिदअतों में औरतें भी पीड़ित हैं वे एक से अधिक शादी के मामला को बहुत बुरी नज़र से देखती हैं मानो उस पर विश्वास नहीं रखतीं। उन्हें पता नहीं कि ख़ुदा की शरीयत प्रत्येक

प्रकार का इलाज अपने अंदर रखती है। अत: अगर इस्लाम में एक से अधिक शादी का मसला न होता तो ऐसी अवस्था जो पुरुषों के लिए दूसरी शादी करने के लिए पेश आ जाती हैं इस शरीयत में उनका कोई इलाज नहीं होता जैसे अगर औरत पागल हो या कोढ़ी हो या हमेशा के लिए एक ऐसी बीमारी में फंस जाए जो बेकार कर देती है या और कोई ऐसी बात पेश आ जाए या महिला दयनीय हो मगर बेकार हो जाए और पुरुष भी दयनीय कि वह ब्रह्मचर्य पर सब्र न कर सके तो ऐसी स्थिति में पुरुष की शक्तियों पर यह अत्याचार है कि उसे दूसरी शादी करने की अनुमति न दी जाए। दरअसल ख़ुदा की शरीयत ने इन्हीं बातों पर नज़र कर के पुरुषों के लिए रास्ता खुला रखा है और मजबूरियों के समय महिलाओं के लिए भी राह खुली है कि अगर मर्द बेकार हो जाए तो हाकिम के माध्यम से ख़ुलअ करा ले जो तलाक का प्रतिनिधि है। ख़ुदा की शरीयत दवा विक्रेता की दुकान की तरह है। अत: अगर दुकान ऐसी नहीं है जिसमें प्रत्येक बीमारी की दवा मिल सकती है तो वह दुकान चल नहीं सकती। अत: विचार करो कि क्या यह सच नहीं कि कुछ कठिनाइयां पुरुषों के लिए ऐसी पेश आ जाती हैं जिनसे वह दूसरी शादी करने के लिए व्याकुल होते हैं वे शरीयत किस काम की जिस में कुल कठिनाइयों का इलाज न हो। देखो इंजील में तलाक के मस्ला के विषय में केवल व्यभिचार की शर्त थी और दूसरे सैंकड़ों तरीके जो पुरुष और महिला में जानी दुश्मनी पैदा कर देते हैं उनका कुछ उल्लेख नहीं था।"

महिलाओं को नसीहत करते हुए फरमाया कि "हे नारी ! चिंता मत करो, जो तुम्हें किताब मिली है वह इंजील की तरह मानवीय अधिकार की मोहताज नहीं है और इस पुस्तक में जैसे पुरुषों के अधिकार सुरक्षित हैं महिलाओं के अधिकार भी सुरक्षित हैं। अगर औरत आदमी के एक से अधिक विवाह पर नाराज़ है तो वह हाकिम के द्वारा ख़ुलआ करा सकती है। ख़ुदा का यह कर्तव्य था कि विभिन्न अवस्थाएं जो मुसलमानों में पेश आने वाली थीं अपनी शरीयत में उनका उल्लेख कर देता ताकि शरीयत अपूर्ण न रहती। अत: तुम हे नारी! अपने पतियों के इन इरादों के समय कि वे दूसरा विवाह करना चाहते हैं अल्लाह तआला से शिकायत मत करो बल्कि तुम दुआ करो कि ख़ुदा तुम्हें मुसीबत और परीक्षा से सुरक्षित रखे।" (यह दुआ करने की अनुमति है कि अगर पुरूष शादी करना चाहते हैं तो मुसीबत और परीक्षा से तुम्हें सुरक्षित रखे ताकि वह शादी करें ही न।" फरमाया कि "बेशक वह पुरुष बहुत ज़ालिम और सज़ा के योग्य है जो दो बीवियां करके न्याय नहीं करता मगर तुम ख़ुद ख़ुदा की अवज्ञा कर के अल्लाह के कहर को पाने वाले मत बनो। प्रत्येक अपने काम से पूछा जाएगा अगर तुम अल्लाह तआला की नज़र में नेक बनो तो तुम्हारा पति भी नेक क्या जाएगा। हालांकि शरीयत ने विभिन्न कारणों के कारण एक से अधिक विवाह को वैध करार दिया है लेकिन अल्लाह तआला की कज़ा तथा कद्र का कानून तुम्हारे लिए खुला है। अगर शरीयत का कानून तुम्हारे लिए संतोषजनक नहीं तो दुआ के कानून के द्वारा लाभ उठाओ क्योंकि दुआ का कानून शरीयत के कानून पर भी ग़ालिब आ जाता है। तक्वा धारण करो। दुनिया से और उस की सुन्दरता से दिल मत लगाओ"(कश्ती नूह रूहानी ख़ज़ायन भाग 19 जिल्द 80-81)

और अल्लाह तआला का कानून क्या है? यह कि दुआ करो अल्लाह तआला इस आदमी के दिल में दूसरी शादी का विचार निकाल दे। यद्यपि उस को अनुमति तो है लेकिन फरमाया कि अगर तुम दुआ करो और ऐसी दुआ करो जो दिल से निकली हुई हो तो हो सकता है तुम्हारी वह दुआ स्वीकार हो और तुम मुश्किल और परेशानी में न पड़ो और शादी का अवसर ही पैदा न हो ।

अल्लाह तआला जमाअत के लोगों को पुरुषों को महिलाओं को अक्ल और ताकत दे कि वे अपने पारिवारिक समस्याएं अल्लाह तआला की शिक्षा के अनुसार हल करने वाले हों और सांसारिक इच्छाओं के स्थान पर धर्म को प्राथमिकता हो। अल्लाह तआला का तक्वा और भय हमेशा सम्मुख हो। इसी तरह नए रिश्तों का मसला भी अल्लाह तआला दूर करे। बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। अल्लाह तआला लड़कों और लड़कियों को यह शक्ति दे और इस बात को समझने की शक्ति दे कि शादी ब्याह केवल सांसारिक स्वार्थों के लिए या सांसारिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि धर्म को प्राथमिकता देते हुए भविष्य की नस्लों को धर्म की राह पर चलने वाला बनाने के लिए हों और नेक नस्लें पैदा करने के लिए हों ताकि अगली नस्लें सुरक्षित हों और इस्लाम की सेवा करनी वाली हों और अल्लाह तआला के फज़लों की फिर इस तरह वारिस बनें।

नमाज़ों के बाद कुछ नमाज़ जनाज़ा ग़ायब पढ़ाऊंगा दो जनाज़ा हाज़िर हैं और दो ग़ायब हैं।

पहला जनाज़ा आदरणीय मुहम्मद नवाज़ मोमिन साहिब पुत्र आदरणीय ख़ुदा बख्श माफ मोमिन साहिब का है जो वक्फे ज़िन्दगी थे। आप 15 फरवरी 2017 ई को 85 साल की उम्र में जर्मनी में वफात पा गए। इन्ना लिल्लाह वा इन्ना इलैहि राजेऊन। आप हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत मोमिन जी साहिब के दामाद थे। आपके पिता ने लगभग 1922 ई में कादियान जाकर हज़रत मुस्लेह मौऊद को हाथ पर बैअत की थी। उनके पिता के बच्चे जन्म के समय मर जाते थे इसलिए ग़ैर अहमदियों ने ताने दिए कि चूंकि आप अहमदी हो गए हैं इसलिए आप के बच्चे मर जाते हैं। उस पर आप के पिता ने आप के जन्म पर अल्लाह तआला से वादा किया कि अगर मेरा यह बच्चा ज़िन्दा बच गया तो उसे इस्लाम की सेवा के लिए समर्पित करूंगा। इसलिए अल्लाह तआला की कृपा से यह बच्चा और उसके बाद चार और बच्चे भी जीवित रहे और उन्होंने लंबी उम्र पाएं। आपके पिता ने जन्म से ही आप को अल्लाह तआला की राह में वक्फ कर दिया था। आपने 1959 ई में जामिया अहमदिया से पढ़ाई पूरी की इस के बाद सारी उम्र सिलसिला की सेवा में बिताए। दफ़्तर अल्फ़ज़ल रबवा, दारुल कज़ा कार्यालय, वसीयत में लंबा समय सेवा की तौफीक मिली। 1969 ई में जर्मनी चले गए। वहाँ भी विभिन्न रूपों से जमाअत की सेवा की तौफ़ीक़ पाई। तब्लीग़ का उन्हें बड़ा जुनून था बड़ा शौक था। नमाज़ तथा रोज़ा के बहुत पाबन्द बहुत सहन करने वाले और शुक्र करने वाले और बड़े बुज़ुर्ग आदमी थे। कुरआन से बेहद प्यार था और ज्ञान के प्रसार और तरतील के साथ कुरआन पढ़ाने का शौक था। मरहूम मूसी थे। पीछे रहने वालों में एक बेटी और एक बेटा है।

दूसरा जनाज़ा है यहां के आदरणीय सय्यद रफीक अहमद सफीर साहिब का जो सदर जमाअत सरबटन थे। 28 फरवरी 2017 ई को 61 साल की उम्र में वफात पाई गए। इन्ना लिल्लाह वा इन्ना इलैहि राजेऊन। अपने पिता डॉक्टर सफीरुद्दीन साहिब कमासी गाना में अहमदिया माध्यमिक स्कूल के पहले प्रिंसिपल थे। सय्यद रफीक सफीर साहिब का जन्म लंदन में हुआ और बचपन से ही जमाअत के कार्यों में सक्रिय रहे। अतफाल और ख़ुद्दामुल अहमदिया के कायद, सैक्रेटरी अत्फाल और ख़ुद्दामुल अहमदिया के कायद और अन्सारुल्लाह की मज्लिस में केंद्रीय कायद शारीरिक स्वास्थ्य के अतिरिक्त कायद सामान्य के रूप में भी सेवा की तौफीक मिली। वफात से पहले सरबटन जमाअत के अध्यक्ष के रूप में सेवा कर रहे थे। ख़िलाफत के साथ गहरा प्रेम का संबंध था। नमाज़ों के पाबन्द तहज्जुद पढ़ने वाले मिलनसार धीमी तबीयत के मालिक बहुत नेक और ईमानदार इंसान थे। मरहूम मूसी थे पीछे रहने वालों में मां के अतिरिक्त पत्नी दो बेटियां और दो बेटे यादगार छोड़े हैं। आप की पत्नी लिखती हैं कि बेहद नरम और धीमे मिजाज़ के व्यक्ति थे। बच्चों को बहुत प्यार और समर्पण से नमाज़ की ओर ध्यान दिलाना और नमाज़ जमाअत के साथ ध्यान दिलाते थे। शादी से लेकर अंतिम समय तक जमाअत के कार्यों में व्यस्त रहे। लोगों की समस्याओं को हल करना और वित्तीय सहायता करना भी उनकी आदत में शामिल था। बहुत नेक सरल तबीयत और अच्छे चरित्र वाले इंसान थे।

उनके क्षेत्र के कार्यवाहक सदर जमाअत लिखते हैं कि आप में एक अच्छी आदत यह थी कि हर ख़ुत्बा जुम्अ: के बारे में इशा की नमाज़ के बाद बच्चों से सवाल पूछते और सही जवाब देने पर पुरस्कार भी देते इससे बच्चों में ख़ुत्बा सुनने का शौक पैदा होता था। जमाअत के कार्यों की बहुत चिंता रहती थी। यह दो जनाज़े हाज़िर हैं जो मैंने अभी घोषणा किए।

इस्लाम और जमाअत अहमदिय्या के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें

नूरुल इस्लाम नं. (टोल फ्री सेवा) :

1800 3010 2131

(शुक्रवार को छोड़ कर सभी दिन सुबह 9:00 बजे से रात 11:00 बजे तक)

Web. www.alislam.org, www.ahmadiyyamuslimjamaat.in

EDITOR
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Editor : +91-9915379255
e-mail : badarqadian@gmail.com
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF THE NEWSPAPERS FOR INDIA AT NO RN PUNHIN/2016/70553
The Weekly BADAR Qadian
Qadian - 143516 Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA
Vol. 2 Thursday 6 April 2017 Issue No.14

MANAGER : NAWAB AHMAD
Tel. : +91- 1872-224757
Mobile : +91-94170-20616
e-mail:managerbadrqnd@gmail.com
ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 300/-

दो जनाज़े ग़ायब भी हैं। उनमें से एक जनाज़ा है डाक्टर मिर्ज़ा लईक अहमद साहब का है जो आदरणीय साहिबज़ादा मिर्ज़ा हफीज़ अहमद साहिब के बेटे थे। हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहो अन्हो के पोते थे। 28 फरवरी 2017 ई को दोपहर के समय दिल की हरकत बंद होने के कारण ताहिर हार्ट इंस्टीट्यूट में 68 साल की उम्र में वफात पा गए। इन्ना लिल्लाह वा इन्ना इलैहि राजेऊन। आपकी मां अभी जीवित हैं। अल्लाह उन्हें भी यह सदमा सहन करने की शक्ति प्रदान करे और उन्होंने F.Sc तक रबवा में पढ़ाई की उसके बाद मुल्तान से मेडिकल कॉलेज से एम बी.एस किया। रबवा में ही अपनी प्रैक्टिस करते थे। ग़रीबों का बड़ा ख्याल रखने वाले और यह अधिकतर गरीबों ने ही लिखा कि हमारा इलाज और देखभाल की बहुत अधिक सहानुभूति से विचार रखते थे बल्कि एक दिन उन्होंने सप्ताह में वक्फ किया हुआ था ग़रीबों के लिए मुफ्त उपचार और इसके अतिरिक्त भी कार्यकर्ताओं और ग़रीबों का मुफ्त इलाज करते थे। उनकी पहली शादी सय्यदा फ़ाइज़ह साहिबा से हुई जिनसे दो बेटे हैं उनकी दूसरी शादी अमतुश्शकूर साहिबा से हुई जो हज़रत ख़लीफतुल मसीह सालिस के बेटी थीं। अल्लाह तआला मरहूम से क्षमा और रहम का व्यवहार करे।

दूसरा जनाज़ा ग़ायब जो है वह आदरणीय अमीन ख़ान साहब सालिक पूर्व मिशनरी यू.एस.ए का है जो 28 फरवरी 2017 ई मंगलवार रात अमेरिका में वफात पा गए। इन्ना लिल्लाह वा इन्ना इलैहि राजेऊन। मरहूम को अमेरिका, लाइबेरिया और इंग्लैंड में मिशनरी के रूप में सेवा करने की तौफीक़ मिली। 1936 ई में अब्दुल मजीद ख़ान आवरीवाल के यहां उनका जन्म हुआ और बचपन से ही जमाअत की सेवा के लिए उनके माता-पिता ने उन्हें वक्फ कर दिया था। हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सानी की तहरीक पर उन्होंने अपने बेटे को वक्फ किया। स्वर्गीय की मां बहुत ख़ुश थीं। बयान करती थीं कि उनके मियां ने यानी अब्दुल मजीद खान ने हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सानी की तहरीक पर अपने बेटे को वक्फ किया और कादियान से लौट कर बताया कि मैंने तुम्हारा बेटा भी वक्फ कर दिया है ताकि शिकवा न हो कि पहली पत्नी का बेटा डॉक्टर नसीर ख़ान वक्फ किया था और मेरा नहीं किया। फिर चौथी जमाअत में 1945 ई में उन्होंने ख़ुद वक्फ का आवेदन किया। 1949 ई में मिडिल करके जामिया अहमदिया में दाखिला लिया। 1955 ई में मौलवी फाज़िल की परीक्षा पास की। 1957 में एफ.ए और 1958 ई में शाहिद और 1959 ई में बी.ए की परीक्षा पास की और पहली नियुक्ति आप की 1958 ई है। अत: 29 फरवरी 1960 से अप्रैल 1963 ई तक अमेरिका में मुबल्लिग़ के रूप में सेवा की तौफीक पाई। 1966 ई के बाद से कुछ समय अस्थायी रूप से अमानत में काम किया। 1969 से 1971 ई लाइबेरिया में सेवा की तौफ़ीक़ पाई। जब आप 23 साल के थे तो अमेरिका में उनकी पहली नियुक्ति 1960 में हुई थी। बड़े उत्साहित मुबल्लिग़ थे। अख़बारों और रेडियो के द्वारा तब्लीग़ के अवसर उन्हें मयस्सर आया करते थे। लाइबेरिया में सेवा के दौरान वहां के राष्ट्रपति टब मैन को आप मासिक बैठक में आमंत्रित करते थे और उनसे दुआ करवाया करते थे। हज़रत ख़लीफतुल मसीह सालिस ने जब लाइबेरिया का दौरा किया तो राष्ट्रपति टब मैन ने हुज़ूर रहमतुल्लाह अलैहि के सम्मान में एक डिनर दिया और अमीन ख़ान के बारे में राष्ट्रपति टब मैन ने कहा कि He is very Forceful। तो हुज़ूर ने उत्तर में कहा कि He is Forceful without choosing any force. अमीन ख़ान साहिब की नियुक्ति इंग्लैंड में भी हुई। जहां 1970 ई तक काम किया और फिर स्वास्थ्य के कारण से उनकी सेवानिवृत्ति हो गई। उनकी शादी बुशरा शाह साहिबा पुत्री इकबाल शाह साहिब से हुई जो डॉक्टर विलायत शाह साहिब सहाबी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम नैरोबी की पोती थीं। यह मुकर्रमा आपा ताहिरा सिद्दीक़ा साहिबा हज़रत ख़लीफतुल मसीह सालिस के बड़े भाई थे। उन के एक बेटा और एक बेटी है। अल्लाह तआला मरहूम पर रहम करे क्षमा और रहम का व्यवहार करे उन सब के स्तर बढ़ाए। नमाज़ों के बाद जैसा कि मैंने कहा उनकी नमाज़ जनाज़ा होगी।

☆ ☆ ☆

सफलताएँ सीमा पर घोड़े बाँधने तथा छावनियाँ स्थापित करने से मिलेंगी

14 शताब्दियों के लम्बे पतझड़ के बाद सैय्यदना हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की नियुक्ति के द्वारा इस्लाम के बाग़ में फिर बहार आई। पतझड़ की ऋतु पूर्णत: बहार में बदल गई। आध्यात्मिक प्रतिभाएँ छलकने लगीं। जिनकी प्रकृति में इलहाम व कलाम के सामर्थ्य पाए जाते हैं वे इलहाम व कलाम से सुशोभित हुए। दीदार-ए-इलाही की असीम दौलत से माला माल हो गए। अल्लाह से सम्बन्ध तथा अल्लाह की निकटता की दृष्टि से सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम के समरूप हो गए। وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ का सत्यार्थ बनते हुए हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जमाअत में शामिल, जान की बाज़ी लगाने वालों ने अध्यात्म के वातावरण में ऊँची उड़ान भरी और कठिन परिस्थितियों तथा विरोधी वातावरण में समुद्रों एवं जंगलों को पार करते हुए यह काफ़िला अग्रसर हुआ तथा आजतक दो सौ से अधिक देशों में यह सक्रिय है, अलहमदु लिल्लाह।

अहमदिया: जमाअत अपने दृढ़ संकल्प ख़लीफ़: के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में जहाँ इस्लाम के शांति पूर्ण पैग़ाम को पूरे विश्व में पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रही है, वहाँ जमाअत के लोगों की शिक्षा दीक्षा तथा उनके आध्यात्मिक स्तर को बुलन्द करने के लिए दिन रात प्रयत्न-शील है। हुज़ूर के ख़ुत्बे तथा सम्बोधन का केन्द्र बिन्दु भी यही होता है कि जमाअत के लोग सच्चे बन्दगी करने वाले बन जाएँ और तौहीद का नूर उनके अस्तित्व में चमके तथा उनके दिलों में अल्लाह को पहचानने की आग भड़क उठे जिसके द्वारा संसार के प्रति प्रेम जलकर भस्म हो जाए तथा अल्लाह तआला का प्रेम एवं महानता उनके दिलों में प्रवेश कर जाए जिसके द्वारा नेकियाँ सँवार कर अदा करने की तौफ़ीक़ पाएँ और बुराईयों से विमुख होकर उनको छोड़ सकें।

अल्लाह तआला हमारा रब्ब है और हम उसके बन्दे हैं। रब्ब का अर्थ है क्रमानुसार तुच्छ अवस्था से प्रगति देते देते सम्पूर्ण अवस्था तक पहुंचाने वाला। रबूबियत एवं उबू-दियत (रब्ब तथा बन्दा) का सम्बंध ऐसा अनुपम है जिसे स्थापित रखने के लिए इबादत (साधना) अनिवार्य है। इबादत नहीं तो कुछ नहीं।

प्यारे अन्सार भाईयो! अन्सारुल्लाह का संगठन प्रमुख है अर्थात जमाअत के अन्य लोग इनके अंतर्गत होते हैं। घर का प्रमुख होने की अवस्था में इनके घरों में रहने वाले सभी ख़ुद्दाम, लजना तथा नासिरात इनके आधीन होते हैं इस दृष्टि से अन्सारुल्लाह के प्रतिनिधियों पर दोहरा दायित्व बन जाता है। यथासम्भव उनको चाहिए कि अपने सुधार के साथ साथ अपने घर के अन्य लोगों की तर्बियत एवं सुधार की ओर भी विशेष ध्यान दें। इसके लिए अन्सारुल्लाह के मेम्बरों को दीन एवं दुनिया की समस्त बातों में नमूना बनना होगा। हमारे प्यारे आक़ा हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अलख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने 20 जनवरी के ख़ुत्ब: में इसकी ओर विशेष ध्यान दिलाया है। फ़रमाते हैं-

"सफलताएँ सोने से नहीं मिलेंगी, सफलताएँ निश्चिंत होने से नहीं मिलेंगी, सफलताएँ सीमाओं पर घोड़े बाँधने तथा छावनियाँ स्थापित करने से मिलेंगी।"

(ख़ुत्ब: जुम्अ: बयान फ़र्मूद: 20 जनवरी 2017)

ख़लीफ़-ए-वक़्त की आवाज़ वास्तव में समय की पुकार होती है। एक निपुण वैद्य की भांति रोग की सूक्षमता पूर्वक जाँच करने के पश्चात नुस्ख़ा बताता है। जो भी इस उपयुक्त नुस्ख़े के अनुसार अपना सुधार करेगा वह नि:सन्देह रोग मुक्त होगा। क्योंकि ख़लीफ़-ए-वक़्त की आवाज़ वास्तव में ख़ुदा की आवाज़ है। जिसके पीछे ख़ुदाई योजना होती है। अन्सारुल्लाह तंज़ीम के संस्थापक हज़रत साहब फ़रमाते हैं- "ज्यों ही उनके कानों में ख़लीफ़-ए-वक़्त की ओर से कोई आवाज़ आए उस समय जमाअत को यह अनुभव न हो कि कोई इंसान बोल रहा है बल्कि ऐसा प्रतीत हो कि फ़रिश्तों ने उनको उठा लिया है तथा इस्राफ़ील का सूर (शंख) उनके सामने फूंका जा रहा है।

अल्लाह तआला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम ख़लीफ़-ए-वक़्त के प्रत्येक इशारे को आदेश समझते हुए उसके अनुपालन का हर सम्भव प्रयास करें ताकि हममें से प्रत्येक उन समस्त कृपाओं एवं बरकतों का उत्तराधिकारी बन सके जो समय के इमाम हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और आपके ख़ुलफ़ाए किराम के आज्ञा पालन तथा सच्चे सम्बन्ध के कारण प्राप्त होने हैं।

(ज़ैनुद्दीन हामिद, सदर अन्सारुल्लाह भारत)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor:Shaikh Mujahid Ahmad